

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ

रिट - ए संख्या - 6020 वर्ष 2026

डॉ. अखिलेंद्र प्रताप सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख
सचिव उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	मयंकर सिंह, गणेश कुमार गुप्ता, नीरज कुमार राय
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	:	सी.एस.सी., अनुराग त्रिपाठी

न्यायालय संख्या - 3

माननीय न्यायमूर्ति मनजीव शुक्ला

1. प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग त्रिपाठी द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है, जिसे पत्रावली पर लिया जाता है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मयंकर सिंह, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, और प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग त्रिपाठी की सहायता से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए.एम. त्रिपाठी को सुना।
3. प्रस्तुत रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा राज्य सरकार के दिनांक 23.05.2026 के आदेश को चुनौती देने के लिए दायर की गई है, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता को लखनऊ के राजकीय डिग्री कॉलेज, आशियाना से लखनऊ के राजकीय डिग्री कॉलेज, महोना स्थानांतरित किया गया है।
4. याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उनका स्थानांतरण स्थानांतरण नीति दिनांक 05.05.2026 में किए गए प्रावधानों के घोर उल्लंघन में राजकीय डिग्री कॉलेज, आशियाना, लखनऊ से राजकीय डिग्री कॉलेज, महोना, लखनऊ में किया गया है, क्योंकि उक्त नीति में यह प्रावधान है कि एक विशेष कार्यकाल पूरा होने के बाद, यदि सरकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण किया जाना है, तो उक्त स्थानांतरण वरिष्ठता के अनुसार किया जाएगा अर्थात् सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को पहले स्थानांतरित किया जाएगा और उसके बाद

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कनिष्ठ को स्थानांतरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, यह तर्क दिया गया है कि स्थानांतरण नीति में यह व्यवस्था है कि किसी सरकारी कर्मचारी को उसकी नियुक्ति की एक निश्चित अवधि पूरी होने के बाद एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित किया जा सकता है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मयंकर सिंह ने पुरजोर तरीके से यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण उनके वर्तमान तैनाती स्थल से राजकीय डिग्री कॉलेज, महोना, लखनऊ केवल इसलिए किया जा रहा है ताकि प्रतिवादी संख्या 3 को राजकीय डिग्री कॉलेज, आशियाना, लखनऊ में समायोजित किया जा सके।

6. यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 3, राजकीय डिग्री कॉलेज, आशियाना, लखनऊ में कार्यरत थे और वहाँ से उनका स्थानांतरण केवल 05.06.2025 को किया गया था और अब आक्षेपित स्थानांतरण आदेश के माध्यम से उन्हें फिर से लखनऊ में ही समायोजित किया गया है।

7. राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों के आधार पर, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित स्थानांतरण आदेश दिनांक 05.05.2026 के माध्यम से, याचिकाकर्ता को लखनऊ जिले के भीतर ही एक राजकीय डिग्री कॉलेज से दूसरे राजकीय डिग्री कॉलेज में स्थानांतरित किया गया है और दोनों कॉलेजों के बीच की दूरी मुश्किल से 30 किलोमीटर है।

8. राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता के स्थानांतरण में 05.05.2026 की स्थानांतरण नीति का उल्लंघन नहीं हुआ है। चूँकि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण उसी जिले के एक राजकीय डिग्री कॉलेज से दूसरे में किया जा रहा है, इसलिए एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिए एक निश्चित अवधि पूरी करने का नियम याचिकाकर्ता के मामले में लागू नहीं होता है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि राज्य सरकार नियोक्ता होने के नाते, अपने कर्मचारियों को उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपने प्रशासनिक क्षेत्र में है और इस आधार पर यह हमेशा राज्य के लिए खुला है कि वह एक सरकारी कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दे और इस विशेष मामले में, प्रतिवादी संख्या 3 क्रोनिक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित है और इसलिए, उसके प्रतिनिधित्व पर, उसे लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया है और सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण लेते हुए, याचिकाकर्ता को उसी जिले में एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

9. प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पेश हुए सीनियर अधिवक्ता श्री ए.एम. त्रिपाठी ने जोरदार दलील दी है कि इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता का मामला केवल दो आधारों पर है: पहला, स्थानांतरण नीति के नियमों का उल्लंघन किया गया है; और दूसरा, याचिकाकर्ता का स्थानांतरण इसलिए किया गया ताकि प्रतिवादी संख्या 3 को उसकी जगह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पर लाया जा सके। हालांकि, कानून की नज़र में ये दोनों ही आधार टिकने लायक नहीं हैं, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई फैसलों से यह बात अच्छी तरह तय हो चुकी है कि स्थानांतरण नीति के नियमों को न्यायालय के ज़रिए लागू नहीं कराया जा सकता; ये नियम केवल उन अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए होते हैं जो सरकारी कर्मचारियों के तबादले के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ता का यह दावा कि उन्हें प्रतिवादी संख्या 3 को समायोजित करने के लिए स्थानांतरित किया जा रहा है, प्रथम दृष्टया ही निराधार है। प्रतिवादी संख्या 3 की चिकित्सा स्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने उनका स्थानांतरण लखनऊ कर दिया है, जबकि याचिकाकर्ता को उसी जिले के भीतर एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में भेजा गया है। इसलिए, किसी भी स्थिति में यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि याचिकाकर्ता का आक्षेपित स्थानांतरण लखनऊ में प्रतिवादी संख्या 3 को समायोजित करने का परिणाम है।

10. प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य बनाम एस.एल. अब्बास (1993) 4 एससीसी 357** में प्रकाशित और **शिल्पी बोस (श्रीमती) व अन्य बनाम बिहार राज्य व अन्य 1991 एसयूपीपी (2) एससीसी 659** में प्रकाशित, के मामलों में दिए गए निर्णयों का हवाला देते हुए यह तर्क दिया कि सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए बनाई गई स्थानांतरण नीति को न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता है।

11. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है और पाता हूँ कि आक्षेपित आदेश 23.05.2026 के माध्यम से, याचिकाकर्ता को लखनऊ जिले के भीतर ही एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में स्थानांतरित किया गया है और दोनों कॉलेजों के बीच की दूरी मुश्किल से 30 किलोमीटर है। इसलिए, चूँकि याचिकाकर्ता एक स्थानांतरणीय पद पर कार्यरत है, किसी भी स्थिति में यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि उसे कोई नुकसान हुआ है। जहाँ तक 05.05.2026 की स्थानांतरण नीति के प्रावधानों के उल्लंघन का संबंध है, यह न्यायालय पाता है कि स्थानांतरण नीति में स्थानांतरण के लिए आवश्यक विशिष्ट अवधि का पूरा होना एक सरकारी कर्मचारी को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित करने के लिए है, जबकि वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को उसी जिले में एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में स्थानांतरित किया गया है, वह भी केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर, इसलिए, स्थानांतरण नीति के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

12. इस न्यायालय का यह भी मत है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **एस.एल. अब्बास** (उपरोक्त) और **शिल्पी बोस** (उपरोक्त) के मामले में दिए गए अपने निर्णयों में स्पष्ट रूप से कानून निर्धारित किया था कि सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा तैयार स्थानांतरण नीति को न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं किया जा सकता है और स्थानांतरण आदेश को केवल सीमित आधार पर चुनौती दी जा सकती है, अर्थात् सरकारी कर्मचारी को अक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानांतरित किया गया है या स्थानांतरण आदेश दुर्भावना से ग्रस्त है, लेकिन वर्तमान मामले में रिट याचिका में ऐसा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कोई आधार नहीं मांगा गया है। याचिकाकर्ता द्वारा लिया गया एक और आधार यह है कि उसे प्रतिवादी संख्या 3 को समायोजित करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा है, इस न्यायालय का विचार है कि स्थानांतरण करते समय राज्य सरकार को सरकारी कर्मचारियों की व्यक्तिगत कठिनाइयों और चिकित्सा आपात स्थितियों जैसे विभिन्न पहलुओं पर विचार करना होगा और उन आपात स्थितियों पर विचार करने के बाद, एक सरकारी कर्मचारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना हमेशा राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में होता है।

13. वर्तमान मामले में, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता के पास उपलब्ध निर्देशों के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 3 को चिकित्सा समस्याएँ हैं और राज्य सरकार ने उक्त मुद्दों पर विचार करने के बाद उन्हें संत कबीर नगर से राजकीय डिग्री कॉलेज, आशियाना, लखनऊ में स्थानांतरित कर दिया है और इसके अलावा, राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता के साथ भी कोई अन्याय नहीं किया है, क्योंकि उन्हें केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर एक अन्य कॉलेज में स्थानांतरित किया गया है।

14. उपर्युक्त कारणों को देखते हुए, मुझे इस रिट याचिका में आक्षेपित, याचिकाकर्ता के स्थानांतरण के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई उचित कारण नहीं दिखता है।

15. तदनुसार, रिट याचिका **खारिज** की जाती है।

16. इस स्तर पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मयन्कर सिंह ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता को राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जा सकती है और यदि आस-पास के अन्य कॉलेजों में कोई रिक्त उपलब्ध है, तो राजकीय डिग्री कॉलेज, आशियाना, लखनऊ से उस कॉलेज में स्थानांतरण के लिए उनके मामले पर विचार किया जा सकता है।

17. मैंने याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना पर विचार किया है और मैं इस प्रकार प्रदान करता हूँ कि याचिकाकर्ता आज से दस दिनों के भीतर, राज्य सरकार को अपना स्थानांतरण राजकीय डिग्री कॉलेज, आशियाना, लखनऊ के पास किसी अन्य कॉलेज में उपलब्ध किसी अन्य रिक्त पद पर करने के लिए एक अभ्यावेदन दे सकता है और यदि ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रतिवादी संख्या 1 को निर्देश दिया जाता है कि वह अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर एक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण आदेश पारित करके उक्त अभ्यावेदन पर विचार करे और निर्णय दे।

(मंजीव शुक्ला, न्यायमूर्ति)

24 जून, 2026

सतीश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।